

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-1711/2010/जयपुर

मैसर्स आशा ऑयल ट्रेडर्स,

ए-11, चांदपोल नयी अनाज मण्डी, जयपुर ।

...अपीलार्थी

बनाम्

सहायक आयुक्त, वृत्त-जी, जयपुर ।

....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.एन.असावा,
अभिभाषक ।

.....व्यवहारी की ओर से.

श्री एन.के.बैद,
अभिभाषक ।

..... राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30.06.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त (अपील्स-चतुर्थ), वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2010 के विरुद्ध पेश की गयी है, जो अपील संख्या 105/अपील्स-चतुर्थ/2008-09/जी के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वृत्त-जी, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61(2)(a) के तहत निर्धारण वर्ष 2006-07 (01.07.2006 से दिनांक 30.09.2006 तक) के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 17.05.2008 में अस्वीकार किये गये आगत कर का मुजरा, कायम की गयी रिवर्स कर की मांग राशि अधिनियम की धारा 61(2)(a) के तहत आरोपित कर की चार गुना शास्ति व अनवूर्ती ब्याज के संबंध में पारित आदेश की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है ।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि को आलोच्य अवधि में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, जयपुर (टिन-08251660279) का पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2006 से निरस्त कर दिया गया है । अतः व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में उक्त व्यवहारी से कय किये गये माल पर चुकाये गये कर के एवज् में चाहे गये आगत कर के मुजरे को अस्वीकार कर, 4 प्रतिशत की दर से रिवर्स कर, कुल ₹13,573/-, करापवंचन के उद्देश्य से चाहे गये

लगातार.....2

आगत कर का मुजरा को अधिनियम की धारा 61(2)(ए) के तहत चार गुना शास्ति 54,291/- व अनवुर्ती ब्याज की मांग राशि 2,441/- आरोपित आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि व्यवहारी द्वारा जब विक्रेता व्यवहारी से माल क्रय किया गया था, राज्य का पंजीकृत व्यवहारी था एवम् विभाग द्वारा जारी व्यवहारी का पंजीयन प्रमाण पत्र पश्चात्वर्ती प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में किसी भी क्रेता व्यवहारी को किस प्रकार ज्ञात हो सकता है ? क्रेता व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहार सद्भावनापूर्ण किया गया था । कथन किया कि समस्त लेन देन बहियात में दर्ज है। वैट इनवॉयस सही जारी किये गये हैं तथा निर्धारण अधिकारी को नियमित रिटर्न पेश किये गये हैं तथा रिटर्न के अनुसार बनने वाला कर भी जमा करवाया गया है। रिटर्न के अनुसार कोई कर बकाया नहीं है। निर्धारण अधिकारी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि विक्रेता व्यवसायी की किस धारा के अन्तर्गत आई टी सी जमा कराने की जिम्मेदारी है । कथन किया अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रय की गयी खरीद पूर्णतः सही है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि सद्भाविक रूप से क्रय किये गये संव्यवहार पर आई टी सी नहीं दिया जाना अनुचित है। उसके द्वारा माल जिस विक्रेता से क्रय किया गया है वह विभाग में तत्समय पंजीकृत था। विक्रेता द्वारा नियमित रूप से रिटर्न फाइल किये गये हैं। विक्रेता के भी विक्रेता अथवा उससे भी और आगे किसी व्यवसायी ने कर जमा करवाया अथवा नहीं, यह मालूम करना अपीलार्थी व्यवहारी के लिए सम्भव नहीं था। अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांतों को भी प्रोद्धरित किय गया :-

- (1) एम.सी.अग्रवाल बनाम् सेल्स टैक्स ऑफीसर, 64 एस.टी.सी. 298 (उड़ीसा उच्च न्यायालय)



(2) वा.क.अ. वृत्त-ए, श्रीगंगानगर बनाम् मैसर्स विजय ट्रेडर्स, श्रीगंगानगर, अपील संख्या 1824 व 1825/2008/श्रीगंगानगर, (आर.टी.बी.) 27 टैक्स अपडेट 109

(3) वा.क.अ. चुरु बनाम् मैसर्स बाबूलाल प्रकाशचन्द, चुरु, अपील संख्या 2504/2011/चुरु (आर.टी.बी.) 37 टैक्स अपडेट 339

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अग्रिम अभिवाक् किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सदभावित रूप से माल खरीदा गया था, प्रमाणित वैट इनवॉयस से माल क्रय किया गया था तथा सद्विश्वास से आई.टी.सी. का क्लेम किया गया जो निम्न तथ्यों से प्रमाणित होता है :-

- (i) वक्त संव्यवहार विक्रेता पंजीकृत व्यवहारी था, टिन नं. सही विद्यमान थे।
- (ii) वैट इनवॉयस से माल क्रय किया गया था, जो कि विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी किया गया था।
- (iii) विक्रेता व्यवसायी द्वारा सही वैट जारी कर बहियात में दर्ज किया गया।
- (iv) विक्रेता व्यवहारी द्वारा विभाग में पेश किये गये रिटर्न में सही बिक्री दर्शायी गयी।
- (v) विक्रेता व्यवहारी के वैट-9 की छाया प्रति जो विभाग को प्रस्तुत की गयी थी, की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी।

अग्रिम अभिवाक् किया कि किसी पत्र के ही आधार पर कर के दायित्व की जिम्मेदारी नहीं बनती अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 10 के भार को प्रमाणित किया गया है तथा अधिनियम की धारा 16(6) के प्रावधानानुसार किसी व्यवहारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र के निरस्त होने की दशा में भी, उस पर कर का दायित्व बना रहता है एवम् व्यवहारी के प्रमाण पत्र के भूतकालिक प्रभाव से निरस्त होने की स्थिति में भी, क्रेता व्यवहारी पर कर का कोई दायित्व नहीं बनता है। व्यवहारी द्वारा सदभाविक रूप से सही दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में, निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिक सिद्धान्तों के विपरीत है जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। अपने उक्त तर्क के समर्थन में पुनः माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा समान बिन्दुओं पर पारित निर्णय दिनांक 19.05.2010 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, श्रीगंगानगर बनाम् मैसर्स विजय ट्रेडर्स, श्रीगंगानगर अपील संख्या

1824 व 1825/2008/श्रीगंगानगर, 27 टैक्स अपडेट 109 का हवाला देते हुये, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर पारित अपीलीय आदेश को अधिनियम के प्रावधानानुसार अविधिक होने का कथन किया गया । अग्रिम अभिवाक् किया कि अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधानों के प्रकाश में, वैट कर जमा कराये जाने का सत्यापन होने की दशा में ही, आगत कर का मुजरा प्रदान किये जाने योग्य है अन्यथा आगत कर के मुजरा प्रदान नहीं किया जा सकता। अग्रिम कथन किया कि वैट व्यवस्था में विक्रेता व्यवहारी द्वारा कर जमा नहीं कराने की दशा में, आगत कर के मुजरे का दावा कैसे स्वीकार किया जा सकता है ? तर्क दिया कि अपीलार्थी व्यवहारी को मौका दिया गया था कि वह इस संबंध में खरीद के संबंध में कर जमा कराने के सबूत के भार निर्वहन करे। परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर जमा कराने का कोई सबूत के भार का निर्वहन नहीं किया गया है जो अधिनियम की धारा 10 के विशिष्ट प्रावधानों के प्रकाश में, बाध्यकारी है। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 18(3)(V) के प्रावधानों के प्रकाश में भी आगत कर का मुजरे का दावा अस्वीकार करने को विधिसम्मत होने का कथन किया गया । अग्रिम अभिवाक् किया कि अधिनियम की धारा 18(2) के आलोक में, विद्वान निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है एवम् अपने कथन के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 995/2012/जयपुर मैसर्स आई.टी.सी. लि., जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त, राजस्थान, जयपुर निर्णय दिनांक 03.08.2012 को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि समान बिन्दुओं पर कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना अवधारित किया गया है । अतः अपने उक्त तर्कों के आधार पर प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहय सुनी गयी । रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, विद्याधर नगर, जयपुर (टिन-08251660279) के पंजीयन निरस्तीकरण के आधार पर उक्त अवधि में विक्रेता व्यवहारी से किये गये संव्यवहार के चुकाये गये कर के एवज् में चाहे गये आगत कर की मुजरा

राशि को अस्वीकार कर, कर, रिवर्स कर, शास्ति व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशि कायम की गयी । इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी किये गये वैट इन्वॉयस (क्रय बिल्स) की छाया प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी हैं अर्थात् विक्रेता व्यवहारी मैसर्स शंकर ट्रेडिंग कम्पनी, विद्याधर नगर, जयपुर (टिन-08251660279) द्वारा विवादित विक्रय को स्वयम् द्वारा संद्वारित वैट-9 में घोषित किया गया है। अतः यदि विक्रेता व्यवहारी द्वारा कर दायित्व का निर्वहन कर, राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है तो निर्धारण अधिकारी को विक्रेता व्यवहारी के विरुद्ध कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी न कि क्रेता व्यवहारी के विरुद्ध।

अधिनियम की धारा 18(3)(V) के तहत आई.टी.सी. उसी स्थिति में ही अस्वीकृत की जा सकती है जब व्यवहारी द्वारा क्रय संव्यवहार वास्तविक नहीं हो। व्यवहारी ने प्रथम बिन्दु पर पंजीकृत विक्रेता व्यवहारी के क्रय बिल तथा वैट 09 की छाया प्रतियां प्रस्तुत कर, यह प्रमाणित किया है कि उसके द्वारा किया गया क्रय संव्यवहार विधिक एवम् सद्भाविक है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि व्यवहारी द्वारा समस्त क्रय संव्यवहार निर्धारण अधिकारी को विक्रेता व्यवहारी के पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त करने से पूर्व किये गये हैं जैसा कि वैट इन्वॉयसेज की छाया प्रतियों से स्पष्ट है ।


हस्तगत प्रकरण में सम्यक दस्तावेजों के माध्यम से व्यवहारी द्वारा माल क्रय किया गया है तथा अधिनियम धारा 16(6) के अनुसार पंजीकरण के प्रमाण पत्र के निरस्त होने के पश्चात भी कर देने का दायित्व बना रहता है और इसमें यह अंकित है कि **The cancellation of certificate of registration shall not affect the liability of any person to pay tax due for any period till the date of such cancellation and remained unpaid.** इस आधार पर भी विक्रेता का दायित्व, कर अदायगी का बना रहता है। हस्तगत प्रकरण में निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी प्रकार की जांच नहीं की है तथा यह भी प्रमाणित नहीं किया है कि विक्रेता व्यवहारी द्वारा जारी इन्वॉयस फर्जी या बोगस है तथा माल का वास्तविक परिवहन नहीं हुआ है या क्रय संव्यवहार वास्तविक नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य बनाम् मैसर्स सुरेश ट्रेडिंग कम्पनी, निर्णय दिनांक 07.02.1996 1998 एस.टी.सी. में समान बिन्दुओं पर निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किये गये हैं:- **".....A purchasing dealer is entitled by law to rely upon the certificate of registration of the selling dealer and to act upon it. Whatever**

may be the effect of a retrospective cancellation upon the selling dealer, it can have no effect upon any person who has acted upon the strength of a registration certificate when the registration was current. The argument on behalf of the department that it was the duty of persons dealing with registered dealers to find out whether a state of facts exists which would justify the cancellation of registration must be rejected. To accept it would be to nullify the provisions of the statute which entitle persons dealing with registered dealers to act upon the strength of registration certificates."

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में केवल सूचना के आधार पर व पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने को आधार बनाकर विक्रेता द्वारा जारी इन्वॉयसेज़ को मिथ्या होना अवधारित कर, व्यवहारी द्वारा चाहे गये आगत कर का मुजरा राशि को अस्वीकार किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 16(6) के अनुसार पंजीयन प्रमाण पत्र का निरस्तीकरण विक्रेता व्यवहारी के कर दायित्व को प्रभावित नहीं करता है। कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा समान बिन्दुओं पर पारित निर्णय दिनांक 19.05.2010 वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, श्रीगंगानगर बनाम् मैसर्स विजय ट्रेडर्स, श्रीगंगानगर अपील संख्या 1824 व 1825/2008/श्रीगंगानगर, 27 टैक्स अपडेट 109 में भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गाय है। अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, अपीलीय आदेश अपास्त किया जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


30.6.2014
(मदन लाल)
सदस्य